

14.03.2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। अभियुक्त उपस्थित आया।
अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा किया गया।
पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर।